जेण्डर और मानव अधिकार – एक समझ

तकनीकी योगदान : सतीष कुमार सिंह, महेन्द्र कुमार

वित्तीय योगदान : सहयोग लखनउ, द्वारा इन्स्टीट्यूटो प्रोमुण्डो, ब्राजील

प्रकाषक :
सेन्टर फॉर हेल्थ एंड सोषल जस्टिस
बेसमेंट ऑफ यंग वुमेन होस्टल नं.–2
एवेन्यू– 21, जी ब्लॉक, साकेत,
नई दिल्ली – 110017
वेबसाइट : **www.chsj.org**

सीमित वितरण हेतू

मुद्दे

जेण्डर	.....	5
मानव अधिकार व भेदभाव उन्मूलन	.....	12
सत्ता	.....	22
मर्दानगी	.....	25
यौनिकता	.....	31
हिंसा व जेण्डर आधारित हिंसा	.....	39

प्राक्कथन

अलग–अलग स्तर पर पुरुषों के साथ जेण्डर समानता महिला हिंसा, मर्दानगी, यौनिकता पर काम करते हुए यह महशूस हुआ कि युवाओं के साथ अलग कुछ विशेष प्रकार की पहल करने की जरूरत है।

युवाओं के साथ काम करने के लिए अलग–अलग सहभागी गतिविधिया तथा खेल द्वारा सीखने सीखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास समय–समय पर होता रहा है।

युवाओं व प्रौढ़ों के साथ जेण्डर समानता बढ़ाने व जेण्डर आधारित हिंसा को कम करने के लिए सामूहिक सीख प्रक्रिया को चलाने तथा एक सुरक्षित माहौल व स्थान सुनिश्चित कराने की जरूरत उभर कर आई ताकि यूवा व प्रौढ़ पुरुष अपने व्यवहार व विश्वास पर आत्मचिंतन कर सकें। इस प्रक्रिया से युवाओं व पुरुषों के अपने व्यवहार बदलने व जिम्मेवारियों को निभाने के लिए मददगार पीयर दोस्त व मेन्टर की जरूरती पड़ती रही है।

जब अलग–अलग प्रशिक्षणों से गुजर कर यूवा व प्रौढ़ पुरुष अपने व्यवहार व सामाजिक मानकों को बदलने की कोशिश करते हैं तो उनके परिवार व समुदाय तथा अन्य सामाजिक घटकों से चुनौतिया मिलने लगती हैं। इन चुनौतियों को सामना करने के लिए उन्हें अपनी समझ बढ़ाने के साथ–साथ जानकारियों को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पठन सामग्री का निर्माण किया गया है जिसमें जेण्डर, मर्दानगी, यौनिकता, हिंसा व मानवाधिकार से जुडी अवधारणाओं, जानकारियों को संकलित किया गया है।

इसमें काफी जानकारियां जागोरी, सूत्रा, नाज फाउण्डेशन तथा सहयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों व मैनुअल से लिए गए है। जगह–जगह पर सामग्री के श्रोत को दर्शाया गया है।

जेण्डर

लड़का क्या है? लड़की क्या है?

लड़का क्या है? लड़की क्या है?
बच्चा जब पैदा होता है तो वह या लड़की होता है या लड़का।

लड़की क्या होती है?

कुछ लोग कहते हैं जिसके लम्बे बाल हों वह लड़की है।
कुलदीप के लम्बे बाल है परवाह तो लड़का है।
कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहने वह लड़की है।
मेघराज माला पहनता है और कानों में मुरकियॉ भी पहनता है और वह लड़का है।

लड़का क्या है?

कुछ लोग कहते है जो नेकर पहने और पेड़ो पर चढ़ पाये वह लड़का है।
षान्ति नेकर पहनती है झट पेड़ पर चढ़ पाती है और वह लड़की है।
कुछ लोग कहते हैं जो ताकतवर हों और भारी बोझ ढ़ो पायें वे लड़के हैं।
सईदा और नफीस दो–दो मटके या लकड़ी के गट्ठर उठाती हैं और वे लड़कियॉ हैं।
कुछ लोग कहते हैं जो घर में कामों मे मदद करती है वह लड़की है।
जोसेफ खाना पकाने, सफाई करने में मदद करता है वह लड़का है।
कुछ लोग कहते हैं खेतो पर काम करने वाले लड़के होते है।
बलजीत और उसकी मॉ खेत पर काम करती है, वे लड़की और औरत हैं।
कुछ लोग कहते हैं जो हाट–बाजार करते हैं वे मर्द है।
वल्ली मछली बेचने बाजार जाती है, वह लड़की है।
कुछ लोग कहते हैं जो कोमल है, जिसमे ममता है वह लड़की है।
कबीर कोमल और ममता भरा है, वह दिन भर छोटी बहन को संभालता है और वह लड़का है।
कुछ लोग कहते हैं जो समाज में अच्छी तरह बन्दोबस्त का काम कर सके वह मर्द है।
अरूण जिले की कलैक्टर होने के नाते पूरे जिले का बन्दोबस्त करती है और वह औरत है।

तो फिर लड़का क्या है?, लड़की क्या है?

लड़का वह है जिसके लिंग और अण्डग्रंन्थियॉ हों।
लड़की वह है जिसके योनि और टिटनी हो।
हर लड़का बड़ा होकर मर्द बनता है।
हर मर्द के लिंग और अण्डग्रन्थियॉ होते हैं।

हर लड़की बड़ी होकर औरत बनती है। हर औरत के योनि, बच्चेदानी और स्तन होते हैं। औरत के षरीर में बच्चा बनता और बढ़ता है और वह बच्चें को जन्म देती है और दूध पिलाती है।

षरीर के इस फर्क के अलावा लड़के और लड़की में कोई फर्क नही है। और जिस्म की बनावट में भी समानता कहीं ज्यादा है, फर्क बहुत कम। यौनिक और प्रजनन अंगो के अलावा सब अंग एक से हैं।

इस षारीरिक या जिस्मानी बनावट को प्राकृतिक लिंग कहते है। अपने षरीर की बनावट की वजह से लड़के का लिंग पुरूष और लड़की का स्त्री होता है।

यह प्राकृतिक लिंग भेद प्रकृति ने बनाया है और यह भेद हर परिवार, समाज और देष में एक सा होता है यानि षारीरिक रूप से लड़का हर जगह लड़का है और लड़की हर जगह लड़की।

षारीरिक भेद के अलावा जो लड़के–लड़की में भेद बना दिये जाते हैं जैसे– उनके कपड़े, व्यवहार, षिक्षा, उनकी और समाज का रवैया, सामाजिक भेद है, प्राकृतिक नही। तभी तो ये भेद हर परिवार और समाज में एक जैसे नहीं हैं।

जैसे हमने देखा किसी लड़की के बाल लम्बे हो सकते हैं किसी के छोटे, कुछ परिवारों में लड़के घर का काम करते हैं कुछ में नहीं करते, कोई औरत घर पर ही काम करती है कोई हाट–बाजार भी करती है आदि।

समाज की दी हुई औरत–मर्द की परिभाषा को सामाजिक लिंग या जेण्डर कहते हैं।

उदाहरण के तौर पर, समाज ऐसे नियम बनाता है जैसे लड़की घर या जनाने में रहेगी, लड़का बाहर जाएगा, या लड़की को खाने और खेलने को कम मिलेगा, लड़के को ज्यादा। लड़के को अच्छे स्कूल भेजा जायेगा ताकि वह बड़ा होकर घर का धन्धा संभाल सके या अच्छी नौकरी पा सके। लड़की की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

ये सब सामाजिक लिंग–भेद प्रकृति ने नहीं बनाये। प्रकृति तो लड़का और लड़की पैदा करती है, समाज उन्हे पुरूष और स्त्री में बदल देता है।

समाज की परिभाषाओं की वजह से लड़के और लड़की के भेद बढ़ते चले जाते हैं और ऐसा लगता है मानों लड़के और लड़की, औरत और मर्द की दुनिया ही अलग हो।

सामाजिक लिंग भेद ही लड़के–लड़की, औरत–मर्द में गैर बराबरी पैदा करता है। समाज (या हम सब, जो समाज का हिस्सा हैं) कहता है– पुरूष उत्तम या बेहतर है, स्त्री कमतर है। जो काम पुरूष करते हैं उसकी मजदूरी ज्यादा है, औरत के काम की कम या बिल्कुल नहीं। मर्द सत्तावान है, औरत सत्ताहीन है।

प्रकृति गैर–बराबरी की बात नहीं करती। वह सिर्फ प्रजनन के लिए औरत और मर्द को अलग अंग देती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भेद–भाव, ऊॅच–नीच, अलग तौर तरीके इन्सान या समाज, यानि हमस ब बनाते हैं। अमीर–गरीब,

ब्राह्मण–षूद्र, गोर–काले, औरत–मर्द का फर्क प्रकृति ने नहीं, समाज ने बनाया है।

सच तो यह है कि हर इन्सान में स्त्री और पुरूष दोनो होते हैं। पर अक्सर समाज लड़की के अन्दर छुपे पुरूषत्व को और लड़के के अन्दर छुपे स्त्रीत्व को उभरने नहीं देता।

समाज स्त्री–पुरूष की समानताओं को उभारने की जगह उनके अन्तर पर ज्यादा गौर देता है और इसी वजह से स्त्री–पुरूष में फर्क बढ़ता रहा है, उनके रास्ते अलग–अलग होते गये हैं और असमानता की वजह से उनमें तनाव और द्वन्द भी बढ़ता गया है।

ज्यादातार देषों में सामाजिक लिंग भेद पितृसत्तात्मक है– यानि वह पुरूष की सत्ता दर्षाता है और मर्दो को अहमियत देता है। जहॉ सामाजिक लिंग भेद औरतों के खिलाफ है, लड़कियों पर अनेकों बंधन होते हैं, उनके खिलाफ पक्षपात होता है, उन पर हिंसा होती है।

इसी वजह से लड़कियॉ लड़कों की तरह आगे नहीं बढ़ पातीं, अपने हुनर नहीं निखार पातीं। एक ही घर में लड़के फलते–फूलते और लड़कियॉ कुम्हलाती नजर आती हैं।

इस लिंग भेद का बुरा असर सिर्फ लड़कियों पर हीं नही उनके परिवार, समाज और पूरे देष पर पड़ता है। लड़कों पर भी कुछ खास काम, गुण और जिम्मेदारियॉ थोपी जाती हैं।

चॅूकि सामाजिक लिंग इन्सानों का बनाया है हम सब अगर चाहें तो उसे बदल सकते हैं, लड़का–लड़की, स्त्री–पुरूष की नई परिभाषाऍ दे सकते हैं। हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहॉ लड़की होने का मतलब कमतर, कमजोर होना नहीं है। और लड़का होने का अर्थ क्रूर, हिंसात्मक होना नहीं है।

सच तो यह है कि हर लड़की और लड़का जो चाहे पहन सकता है, खेल सकती है, पढ़ सकता है, बन सकती है। लड़की होने से ही घर का काम और औरों की सेवा करना नहीं आ जाता। लड़का पैदा होने से ही निर्भयता, तेज दिमाग, ताकत आदि नहीं आ जाते। ये सब काम और गुण सीखने–सिखाने से आते हैं। जिसकी जैसी परवरिष होगी वह वैसी बन सकती है।

हम चाहें तो ऐसा समाज बना सकते हैं जिनमें काम, गुण, जिम्मेदारियॉ, व्यवहार और हुनर किसी लिंग, जाति, रंग और वर्ग के आधार पर थोपे न जायें सब अपनी मर्जी और स्वभाव के मुताबिक काम कर सकें, हुनर सीख सकें और व्यवहार कर सकें।

(साभार : जागोरी, बी –114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली– 110017)

जेण्डर से जुड़ी अवधारणएं

जेण्डर:

जेण्डर अलग–अलग समाज के विषेष परिस्थिति व काल में महिला व पुरूष के बीच निर्दिष्ट आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं व मौके से सन्दर्भित होता है।

जेण्डर को सामाजिक रूप से सीखे गए उस व्यवाहर मानकों व अपेक्षाओं से परिभाषित किया जाता है जो पुरुष व स्त्री से संबंधित है।

इस परिभाषा से आपको स्पष्ट होगा कि यहाँ पर पुरुष व स्त्री के शारीरिक विशेषताओं का वर्णन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुरुषपन अथवा स्त्रीपन जैविक तथ्य हैं जबकि पुरुषत्व व स्त्रीत्व सांस्कृतिक रूप से समाज द्वारा रचित गुण है। जैसे–जैसे संस्कृति में बदलाव आता है पुरूषत्व व स्त्रीत्व के मानक भी बदलते रहते हैं।

अतः स्पष्ट है कि पुरुषत्व व स्त्रीत्व मानक सार्वभौमिक नहीं है। भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर इसमें बदलाव आ जाता है। जैसे उत्तरी भारत में प्रत्येक विवाहित महिला को घूँघट रखना है जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न भौगोलिक आंचलों में जाति के आधार पर भी अन्तर दिखते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में अनुसूचित जाति की अशिक्षित विधवा महिला अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए खेतों में मजदूरी कर सकती है जबकि इसी क्षेत्र की अशिक्षित ब्राह्मण विधवा घर के बाहर तक नहीं निकल सकती है ताकि वह अपना भरण पोषण मजदूरी द्वारा कर सके।

ये विशेषताएँ भी समय के अनुसार बदलती रहती हैं। कभी–कभी यह बदलाव बाह्य कारणों से प्रतिफलित होता है और कभी–कभी लोगों का एक समूह इनमें बदलाव ले आता है।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जापान में स्त्रियाँ दफ्तरों, कारखानों में काम नहीं करती थीं। युद्ध लड़न के लिए जैसे– जैसे पुरुषों की जरूरत बढ़ती गई, औरतों को दफ्तरों व कारखानों में काम पर लगाया जाने लगा। विश्व युद्ध की समाप्ति पर पहले की स्थिति नहीं लौटी। आज जापान में 90 प्रतिशत महिलाएं कारखानों, दफ्तरों या अन्य सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं।

19वीं सदी में सुश्री सावित्री बाई फूले के प्रयासों को आज भी याद किया जाता है, जो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए किये थे। इस कर्मठ महिला ने कुछ संवेदनशील नागरिकों के साथ मिलकर लड़कियों का स्कूल खोला था जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत की 54 प्रतिशत महिला साक्षर है, जबकि 1901 में यह दर तीन प्रतिशत ही थी।

आज तमाम संस्कृतियों में पुरुष व महिलाओं के बीच एक पदानुक्रम व्यवस्था काम करती है। पुरुषों द्वारा किए गए कार्य का मूल्य महिलाओं द्वारा उसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा ज्यादा होता है। वास्तविकता में महिला द्वारा घर की चारदीवारियों में जो घरेलू काम किया जाता है उसका तो कभी भी आर्थिक मूल्यांकन किया ही नहीं गया है। पूरे भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दिये जाने का चलन है। पुरुष परिवार की परिसम्पति के वारिस मान जाते हैं। अतएव उनको महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्व मिला हुआ है।

लिंग व जेण्डर में अन्तर –

लिंग	जेण्डर
जीवाश्म / जैविक	सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश आधारित
प्रकृति द्वारा जनित	समाज द्वारा निर्मित
स्थिर	विभिन्न एवं विविध
वैयक्तिक	प्रक्रियागत / व्यवस्थागत
बिना पदानुक्रम के	पदाक्रमानुसार
परिवर्तनशील नहीं	समय उपरान्त परिवर्तित

अपने सीख का मूल्यांकन करें–

अभी तक आपने क्या सीखा है उसका निम्न अभ्यास से मूल्यांकन करें। नीचे लिखे शब्दों में जो लिंग (सेक्स) से संबंधित है और जो जेण्डर से सम्बन्धित है उन पर वृत बनाकर (य) व (ज) लिखें।

	जेण्डर / लिंग		जेण्डर / लिंग
मासिक स्राव		मजबूत	
एस्ट्रोजनस		खतना	
संवेदनशीलता		डॉक्टर	
टेस्टास्ट्रोन		सहनशील	
गपोडी		कमजोर स्वभाव	
नर्स		साहसिक	
गर्भधारण		शुक्राणु	
सहनशीलता			

(साभार : जेण्डर कुंजी, सुत्रा)

जेण्डर भेदभाव क्या है?

जेण्डर भेदभाव उन सभी से जुड़ता है जिसमें महिला–पुरूष के बीच किसी भी तरह की दूरी, बाहर किया जाना, प्रतिबंध जो समाज द्वारा जेण्डर भूमिका व मानक बनाये जाते हैं, जो व्यक्ति को उसके पूर्ण मानवाधिकार को प्राप्त करने से रोकते हैं।

जेण्डर भेदभाव से जुड़ी कथन व सच्चाइ

हम अक्सर कहते नहीं थकते कि स्त्रियाँ बेहतर रसोइयाँ होती हैं। यदि ऐसा ही है तो विश्व के तमाम जाने माने होटलों में रसोइये पुरुष ही क्यों होते हैं ? यदि पुरुष अपने फटे कपड़ों की मरम्मत नहीं कर सकते (यह औरतों का काम है) तो तमाम दर्जी पुरुष ही क्यों ? कुछ लोग स्त्री पुरुष में जो विभेद है उसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानते हैं

किन्तु यह सही नहीं है। उनमें तमाम विभेद समाज द्वारा जेण्डर व आर्थिक कारणों के आधार पर थोपा गया है। यदि महिलाएँ अच्छी रसोइयाँ हो भी जाएँ तो भी बड़े–बड़े होटलों में उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह पुरुष प्रधान स्थान है। जेण्डर आधारित विभेद इस कारण भी है कि महिलाएँ खाना पकाने सफाई व मरम्मत का काम घर में ही निःशुल्क करें, जबकि पुरुष यही काम बाहर करके आर्थिक लाभ कमाएं। बाहर के इन कामों में प्रतियोगिता है, वित्तीय मोलभाव करना होता है अतएव महिला इन कामों के लिए कमतर मानी जाती हैं। इस प्रकार महिला का पूरा जीवन उसके परिवार के पुरुषों के इर्द–गिर्द बीत जाता है। बचपन में बाप के नियंत्रण में, शादी के बाद पति के दबाव में, बूढ़े होने पर पुत्र के नियंत्रण में। उनके पास अपनी कोई पूंजी या संसाधन नहीं है ना ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ऋण सम्बन्धी सेवाओं तक की पहुँच है।

परिवार में जेण्डर के आधार पर जो मूल्य व व्यवहार हम बच्चों पर लाद देते हैं उसकी पुष्टि व अभिवृद्धि अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा आगे जारी रहती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, मीडिया हो, बाजार हो, चिकित्सकीय व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, राजनीति हो, या फिर धर्म या संस्कृति ही क्यों न हो, सभी जगह जेण्डर जन्य विभेद को बढ़ावा दिया जाता है।

इन विभेदों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ ''सामाजिक विश्वास'' रच दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ–पुरुष शक्तिवान, औरत कमजोर है। शर्म औरतों का गहना है। पुरुष साहसी व बहादुर हैं। स्त्री का सपना बस माँ बन जाना है। इन सामाजिक विश्वासों के कारण 'सामाजिक मूल्य' स्वयमेव स्थापित हो जाते हैं, जो पुरुष व स्त्री में विभेदीकरण को सुदृढ़ करते हैं। औरतों का व्यवहार तद्नुरूप साँचे में ढाल दिया जाता है जैसे महिला परिवार के लिए सभी त्याग करेगी, जबकि पुरुष मातृभूमि के लिए अपने को न्योछावर करेगा।

हमारी सामाजिक संस्थाएँ इस प्रकार के सामाजिक विश्वासों व मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। उदाहरणार्थ हर धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, इसाई) में पुरुष महिला के सम्बन्धों में नियम बनाए गए हैं। आदम व हव्वा की कहानी याद करें या विश्वामित्र या मेनका की। दोनों उदाहरणों में आदमी औरत के कारण ही भगवान की निगाहों में गिरा व पापी सिद्ध हुआ है। हर समाज में मान्यता है कि यदि पुरुष समुदाय या देश के लिए मरता है तो वह स्वर्ग जायेगा। हिन्दुओं में यदि पत्नी पति से पहले मर जाती है तो वह भी स्वर्ग जायेगी।

शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी इन्हीं सामाजिक विश्वासों व मूल्यों का सुदृढ़ीकरण व विस्तार किया जाता है। उत्तरी भारत की पुस्तकों में 'रक्षा बन्धन' के त्यौहार पर हर बहन द्वारा भाई के राखी बांधने का कारण यही माना जाता है औरत कमजोर है वह अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती, जिसके लिए उसे पुरुष की सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो मर्द उसे देता रहेगा।

इसी प्रकार समुदाय भी स्त्री पुरुष के लिए 'प्रतीकों' का निर्धारण कर देता है। उदाहरणार्थ एक विवाहित स्त्री को मंगलसूत्र अनिवार्यता से पहनना है। माथे पर बिन्दी या कुमकुम अवश्य लगाना है। भारत के अनेकों समुदायों में पुरुषों को मूँछे रखनी पड़ती है जिसे पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। किसी पुरुष के पुरुषत्व में/मर्दानगी में कमी रह जाए तो कहा जाता है–उसने तो मूँछ कटवा दी। समाज/समुदाय के प्रत्येक सदस्य को इन मानकों के अनुसार अपना जीवन ढालना है व अपने व्यवहार में इन मूल्यों को प्रतिफलित करना है। यह सुनिश्चित हो सके इसीलिए ''सामाजिक नियंत्रण'' प्रक्रिया विकसित व लागू की गयी है।

(साभार : जेण्डर कुंजी, सुत्रा)

मानव अधिकार
व
भेदभाव उन्मूलन

समता व समानता

महिला व पुरूष के बीच बराबरी की स्थितियों से हमारा क्या सोच है? क्या जो पुरूष कर रहे हैं वहीं महिलाएं भी करें तो यह बराबरी है? महिलाएं पुरूषों की तरह हो जाएं क्या यही बराबरी से हमारा अर्थ है? बिल्कुल नहीं। हमें यह भी समझना होगा कि बराबरी या समानता की बात से हमारा अर्थ एक जैसा नहीं होना है बल्कि 'सम–भाव' न्यायपूर्ण व्यवहार से है। एक दूसरे के ऐसे पूरक जिनका समान महत्व हो। इस भाव में ही यह सजग सोच निहित है कि समाज में औरत और मर्द दोनों की स्थितियां अलग–अलग हैं और इन स्थितियों के प्रति सचेत रहते हुए हमें महिलाओं के लिए कुछ विषेष प्रयास करने होगें ताकि वे बराबरी के स्तर पर पहुंच सकें।

कुछ विषेष प्रयास/प्रावधान? –

- आरक्षण
- निर्णय लेने के मौके
- संसाधन पर पहुंच व नियंत्रण
- नेतृत्व के अवसर
- सत्ता – अधिकार
- अनुकूल माहौल बनाना
- अतिरिक्त सुविधाएं –
    - गल्ती होने पर दोषी न ठहराना
    - मंजाक न उड़ाना
    - सहभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करना
    - सम्मान व सहयोग करना उनकी जरूरतों की पहचान कर मदद करना

समता एक प्रक्रिया है और समानता अपेक्षित परिणाम जिसकी ओर हम सभी आषा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। समता का आधार ही है विभिन्नताओं को पहचानकर उनके अनुकुल ऐसी व्यवस्थाएं करना जिससे महिला व पुरूष दोनों की हैसियत समान हो, और यही न्यायोचित भी है। इसी वजह से सषक्तिकरण की प्रक्रिया को इतना महत्व दिया गया है।

समानता का अर्थ –

समानता का लोग अलग–अलग अर्थ निकालते हैं, स्त्री एवं पुरूष की समानता के अलग–अलग रास्ते अपनाते हैं। उदाहरण के लिए दो कहांनियों पर विचार करते हैं–

किसी जेल में यौन अपराधियों को बाकी कैदियां के साथ रखा जाता था। इसलिए महिला कर्मियों को उनसे दूर रखने के लिए सबको कार्यालय का काम

दिया गया। कार्यालय के काम में तरक्की धीमी होती है और इस सुरक्षा के नाम पर महिलाओं का नुकसान हुआ।

एक अखबार में यह नियम था कि महिला पत्रकारों को अपराध की खबरें लेने नहीं भेजा जायेगा, पर पुरूष पत्रकारों को गाड़ी व देह रक्षक के साथ भेजा जाता था। जब मुख्य संपादक का स्थान रिक्त हुआ, महिलाओं को यह स्थान मिलना असम्भव हो गया क्योंकि मुख्य संपादक के योग्य व्यक्ति को हर विषय में पत्रकारिता का अनुभव आवष्यक था। इसलिए सुरक्षा के कारण महिलाओं की तरक्की रूक गयी। अतः षुरू में भेदभावपूर्ण नियम की वजह से बाद में बराबरी का मुकाबला करना कठिन हो जाता है।

समानता के कई अर्थ निकाले जाते हैं, जैसे बराबरी, फर्क न करना, अलग लोगों को एक नजर से देखना आदि। हर व्यक्ति की संम्पूर्ण मानव अधिकारों तक पूरी पहुंच को समानता कहा जा सकता है जिसमें उनकी अलग परिस्थितियों व जरूरतों को पहचानकर उसी अनुरूप समतापूर्ण व्यवस्था बनाई जाती है।

समानता तक न पहुंचने के लिए कई रास्ते अपनाये जाते हैं, जैसे –

महिलाओं को अवसर देना परन्तु पुरूषों से उन्हे अलग चिन्हित करना है। इस फर्क को महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल करना जैसे कि हमेषा आकर्षक दिखने वाले नौकरियों पर उन्हें रखना और कुछ उम्र बाद न रखना या उन्हें ऐसे प्रषिक्षण न देना जिसके बाद घर से बाहर जाकर काम करना पड़े।

महिलाओं को औपचारिक रूप से समान कहलाना व मानना हांलाकि उनकी स्थिति पुरूषों से भिन्न है। (दोनो में जैविक फर्क है, महिला वर्ग का वर्तमान स्तर पुरूषों के बराबर नही है क्योंकि वे ऐतिहासिक भेदभाव का नुकसान भुगत रहे हैं) औपचारिक समानता के चलते महिला–पुरूष के लिए मुकाबले के बराबर नियम बनाये जाते हैं, जैसे चुनाव लड़ने के नियम या नौकरी के स्थान पर विषेष सुविधा न होना।

महिलाओं को खतरों से बचाने के लिए उन्हें कुछ अवसर से वंचित रखना। इस सुरक्षात्मक सोच के अर्न्तगत महिला पर कमजोर और पुरूष पर बलवान का ठप्पा लगता है। इसके चलते महिलाएं वास्तव में कमजोर बन जाती हैं क्योंकि उन्हें आगे तरक्की के अवसर नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण– अकेले सफर की आदत महिलाओं को न होना।

भेदभाव का उन्मूलन

अभी यह स्वीकार किया जाता है कि महिलाएं भेदभाव की षिकार रही हैं और यह महिलाओं के असमानता का बड़ा कारण रहा है जिससे महिलाएं नुकसान सहती रही हैं। यह इस समझ पर आधारित है कि भेदभाव समाज द्वारा बर्ताव का नैसर्गिक सिद्धान्त नहीं है। यह असमानता की जड़ों के उन्मूलन पर काम करने की आवष्यकता को भी स्वीकार करता है। साथ ही एक संस्थात्मक

व्यवस्था पर प्रष्न खड़ा करने की भी बात करता है जो असमानता को बनाएं रखते हैं।

ज्यादातर स्थानीय निकाय व विधायिका लिंग आधारित भेदभाव की व्यवस्था को खत्म नहीं करते, जबकि हमारा संविधान लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाने का आश्वासन देता है। आखिर यह काम क्यों नहीं हुआ। लिंग के आधार पर गैर भेदभाव व्यवस्था को गहनता से परिभाषित किया जा सकता था। जैसे एक ही परिस्थिति में एक साथ रह रहे दो व्यक्तियों के साथ दो तरह का वर्ताव करना। इसका मतलब यदि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं जिनकी जरूरत अलग–अलग हो सकती है (जो समान परिस्थिति में नहीं है) और उनमें से एक पहले से ही नुकसान या असुविधा में है तो उसके लिए क्या स्वाभावित रास्ते हो सकते है जो औरो का और नुकसान में नहीं डालेंगे, तब उसे भेदभाव पूर्ण नहीं माना जायेगा। यहाँ जो व्यक्ति नुकसान में है उसकी ही कमजोरी माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि ऋण की सुविधा महिला व पुरूष दोनों को समान शर्तो पर दी जाती है (प्राकृतिक समानता के रूप में) जैसे जमानत और प्रतिभूति पर्यायवाची हैं, किसी एक शब्द का ही प्रयोग उचित है के आधार पर ऋण दिया जोयगा तो शायद महिलाए ऋण नहीं ले सकती क्योंकि सामाजिक नियमों मान्यताओं के आधार पर उनके नाम सम्पत्ति होती ही नहीं, जिसे वे प्रतिभूति के रूप में दे सकती हों, जब कि पुरूष आसानी से इसी शर्त पर ऋण ले सकता है। अतः ऋण देने वाली संस्थाएं यह सोच सकती हैं कि वे महिलाओं को ऋण देकर उनका भला करना चाहती हैं। वे इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करतीं कि वर्तमान नियमों और शर्तों के आधार पर महिलायें ऋण पा ही नहीं सकतीं। यहाँ निष्पक्ष/प्राकृतिक नियम लागू करना महिलाओं के साथ भेदभाव करेगा। महिलाओं को यदि ऋण उपलब्ध कराना है तो उनके लिए भिन्न नियम व शर्ते बनाने ही होंगे।

भेदभाव को भी प्रत्यक्ष भेदभाव व अप्रत्यक्ष भेदभाव में या वांच्छित या अवांच्छित भेदभाव के रूप में देखना पड़ेगा जो घोषणाओं में परिभाषित है। सीडॉ के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भेदभाव का अर्थ है महिलाओं को लिंग के आधार पर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में बराबरी के लिए प्रवेष को रोकना, वंचित रखना या भेदभाव दिखाना।

पुरूषों की तुलना में, महिलाएं काफी ज्यादा भेदभाव को सहती हैं जिसकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वीकृति मिलती है, जैसे सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवहार, पुरूष के फायदे को सुरक्षित रखने वाली संस्थाएं जैसे राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियन, धार्मिक संस्थान, कोर्ट आदि। जबकि इनके नियम कानून महिलाओं को नुकसान पहुॅचाते हैं। परिस्थितियों को बदलने के लिए विषेष प्रयास या महिलाओं को फायदे पहुॅचाने के लिए कानूनों में विषेष बदलाव न करना उनकी मौकों तक पहुॅच को बाधित करना है और यह एक प्रकार से घोषणा के अर्न्तगत भेदभाव ही है यद्यपि यहॉ वाच्छित भेदभाव नही है।

(साभार : जेण्डर , यौनिकता, हिंसा व स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण हेतु मर्गदर्शिका– सहयोग)

संविधान

किसी भी देष का संविधान उस देष के नागरिकों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का दस्तावेज होता है। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा स्वीकृत और जारी की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उन सभी तत्वों का समावेष है जो मानव को गरिमामय वातावरण में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने के लिये आवष्यक है। भारत के संविधान निर्माताओं ने उस घोषणा पत्र से ही अधिकांष तत्व लेकर कुछ बदलाओं के साथ नागरिकों के मूल अधिकार और राज्य के नीति के निदेषक तत्वों में षामिल कर लिया है।

भारत के संविधान के अर्न्तगत अधिकार

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान का मुख्य उद्देष्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है–

न्याय – सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक।
स्वतन्त्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास धर्म व उपासना की।
समानता – प्रतिष्ठा एवं अवसर की।
बन्धुत्व – व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए।

एक ओर संविधान व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को प्रदान करता है, वहां दूसरी ओर उसका लक्ष्य देष की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखना भी है। स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मु ख्य लक्ष्य है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा

उद्देषिका

जबकि प्रत्येक व्यक्ति की अन्तर्भूत प्रतिष्ठा और उसके समान तथा अहरणीय अधिकार ही विष्व में स्वतंत्रता, न्याय और षान्ति का आधार है, जबकि मानव अधिकारों की उपेक्षा और अवहेलना ने उन बर्बरतापूर्ण कार्यो को जन्म दिया जिन्होंने

मानवता को और एक ऐसे विष्व के निर्माण की परिकल्पना को साकार न होने दिया जिसमें सामान्य व्यक्ति की उच्चतम आकांक्षाओं के रूप में उसे बोलने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो और वह भय तथा अभाव से मुक्त हो, जबकि तानाषाही और दमन के खिलाफ मनुष्य को, अन्तिम उपाय के रूप में विद्रोह करने से रोकने के लिए यह आवष्यक है कि कानून द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। जबकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देना आवष्यक है, जबकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मूलभूत मानव अधिकारों, मानव की प्रतिष्ठा तथा महत्व और पुरूषों तथा महिलाओं को समान अधिकारों के संबंध में अपने विष्वास की पुनः पुष्टि की गई है और पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देने का निष्चय किया गया है, जबकि सदस्य राष्ट्रों ने, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को सार्वभौम सम्मान और उनके अनुपालन को बढ़ावा देने का संकल्प किया है, जबकि इस संकल्प को पूरा करने के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रता के संबंध में सामान्य बोध अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतः अब महासभा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा सभी लोगों तथा सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य स्तर के रूप में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा इस उद्देष्य से करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक घटक इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए षिक्षण तथा षिक्षा के द्वारा इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उत्तरोत्तर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा उन्हें सार्वभौम और प्रभावी रूप में स्वीकार करने तथा सदस्य राष्ट्रों के और उनके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों के लोगों के बीच इनके अनुपालन के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 1 – जन्म के समय सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और प्रतिष्ठा तथा अधिकार की दृष्टि से एक समान होते हैं। वे बुद्धि तथा विवेक से सम्पन्न होते हैं और इसलिए उन्हें एक–दूसरे के लिए भाईचारे की भावना से कार्य करना चाहिए।

अनुच्छेद 2 – प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग/योनि, भाषा, धर्म राजनीतिक अथवा अन्य विचार, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य स्थिति, जैसी बातों के आधार पर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हकदार है। इसके अलावा राजनीतिक, अधिकारिक अथवा जिस देष अथवा क्षेत्र से वह संबंधित है उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, चाहे वह स्वतंत्र हो, न्यास हो, पराधीन हो अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रभुत्व में हो, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 3 – प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4 – किसी भी व्यक्ति को गुलाम अथवा दास नहीं बनाया जाएगाः दासता और गुलाम प्रथा का सभी रूपों में निषेध होगा।

अनुच्छेद 5 – किसी भी व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा अथवा किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूरता का, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा अथवा न ही किसी को इस प्रकार दण्डित किया जाएगा।

अनुच्छेद 6 – प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि सब जगह कानून की नजर में उसे एक व्यक्ति माना जाए।

अनुच्छेद 7 – कानून की नजर में सब समान हैं और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सब को समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार है। इस घोषणा का अतिक्रमण करते हुए किसी प्रकार के भेदभाव के विरूद्ध और ऐसे भेदभाव को प्रेरित करने के विरूद्ध सब समान सुरक्षा के हकदार हैं।

अनुच्छेद 8 – प्रत्येक व्यक्ति को संविधान अथवा कानून द्वारा उसे प्रदान मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप के खिलाफ सक्षम राष्ट्रीय अदालतों में न्याय की मांग करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 9 – किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तार, नजरबंद अथवा निर्वासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 – प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण के संबंध में तथा अपने खिलाफ लगाए गए किसी भी प्रकार के अभियोग के विरूद्ध एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष अदालत में न्याय मांगने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा–पूरा अधिकार है।

अनुच्छेद 11 –
(1) प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि उसके विरूद्ध लगाए गए किसी भी अपराध के मामले में उसे तब तक निर्दोष समझा जाय जब तक कि उसे उस सार्वजनिक न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न किया गया हो जिसमें वह अपने बचाव के लिए आवष्यक सभी तर्क प्रस्तुत कर चुका हो।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे कार्य अथवा गल्ती के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय किसी राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्न्तगत अपराध न समझा जाता हो जिस समय यह किया गया था, न ही उसे अपराध करने के समय प्रचलित दंड से अधिक दंड दिया जायेगा।

अनुच्छेद 12 – किसी भी के निजी, पारिवारिक, घरेलू अथवा पत्र व्यवहार के मामले में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रहार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के हस्तक्षेप अथवा प्रहार के विरूद्ध कानूनी सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 13 –
प्रत्येक व्यक्ति को अपने देष की सीमा के अर्न्तगत किसी भी राज्य में आने–जाने तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी देष छोड़नें, जिसमें उसका अपना देष भी षामिल है, और अपने देष में लौटने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14 –
प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार के विरूद्ध अन्य देषों में षरण मांगने और षरण लेने का अधिकार है।
यह अधिकार गैर–राजनैतिक अपराधों अथवा संयुक्त राष्ट्रों के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के विपरीत कृत्यों के फलस्वरूप वास्तविक इस्तगासों के मामले में लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 15 –
प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है।
किसी भी व्यक्ति को न तो मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित किया जायेगा और न ही उससे अपनी राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार छीना जाएगा।

अनुच्छेद 16 –
बालिगों, पुरूषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के किसी बंधन के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने, विवाह के दौरान और विवाह विच्छेद के मामले में समान अधिकार है।
विवाह के इच्छुक पति–पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह होगा।
परिवार समाज की स्वाभाविक और आधारभूत समूह इकाई है और इसे समाज तथा राज्य द्वारा सुरक्षा पाने का हक है।

अनुच्छेद 17 –
प्रत्येक व्यक्ति को अकेले तथा अन्यों के साथ साझे में सम्पत्ति रखने का अधिकार है।
किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 18 –
प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में अपना धर्म अथवा मत बदलने तथा अकेले अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर और सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपदेष, व्यवहार, उपासना तथा रीति–रिवाज में अपने धर्म अथवा मत को प्रकट करने की स्वतंत्रता षामिल है।

अनुच्छेद 19 –
प्रत्येक व्यक्ति को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय कायम करने और सरहदों का ध्यान रखे बिना किसी भी माध्यम से सूचना और विचार प्राप्त करने, लेने और देने का अधिकार षामिल है।

अनुच्छेद 20 –

प्रत्येक व्यक्ति को षांतिपूर्वक सभा करने और संघ बनाने के स्वतंत्रता का अधिकार है।
किसी भी व्यक्ति को किसी संघ में षामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21 –
प्रत्येक व्यक्ति को अपने देष की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लेने का अधिकार है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने देष में सार्वजनिक सेवा के लिए समान अवसर पाने का अधिकार है।
लोगों की इच्छा ही सरकार का आधार होगी, यह इच्छा आवधिक और प्रमाणिक चुनावों में व्यक्त की जायेगी जो व्यापक और समान मताधिकार द्वारा होंगे और जो गुप्त मत अथवा ऐसी ही स्वतंत्र मतदान पद्धतियों द्वारा होंगे।

अनुच्छेद 22 – प्रत्येक व्यक्ति को, समाज का एक सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और यह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक देष के संगठन और संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पाने का हकदार है जो उसकी मान–मर्यादा और उसके स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद 23 –
प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, स्वतंत्र रूप से रोजगार चुनने, काम की न्यायोचित और अनुकूल परिस्थितियों और बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार है।
प्रत्येक व्यक्ति को किसी भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।
प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति को न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है जिसमें स्वंय उसके लिए और उसके परिवार के लिए मानवीय मान–मर्यादा के साथ निर्वाह सुनिष्चित हो सके और यदि आवष्यक हो तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधनों से इसकी पूर्ति हो।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघों की स्थापना करने और उनमें षामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24 – प्रत्येक व्यक्ति को काम में घंटों की उचित सीमा सहित विश्राम और मनोरंजन तथा वेतन सहित आवधिक छुट्टी का अधिकार है।

अनुच्छेद 25 –
प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और ठीक तरह से निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा सुविधाओं और आवष्यक सामाजिक सेवाओं सहित पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है और बेरोजगारी, बीमारी, अक्षमता, वैधव्य, वृद्धावस्था अथवा उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में जीविका के अभाव में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

मॉ और बच्चे विषेष और सहायता पाने के हकदार हैं। वैध अथवा अवैध रूप से जन्मे सभी बच्चों को एक समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 26 –
प्रत्येक व्यक्ति को षिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्रारंभिक तथा बुनियादी स्तरों पर षिक्षा निःषुल्क होगी। प्रारंभिक षिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यावसायिक षिक्षा सामान्य रूप से उपलबध होगी और उच्च षिक्षा के अवसर योग्यता के आधार पर सब को समान रूप से उपलब्ध होंगे।
षिक्षा का उद्देष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होगा। यह सभी राष्ट्रों, जातीय अथवा धार्मिक वर्गो के बीच बोध, सहिष्णुता और मैत्री का विकास करेगी और षान्ति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को बढ़ावा देगी।
माता पिता को इस बात का पूरा–पूरा अधिकार है कि वे अपने बच्चों को किस प्रकार की षिक्षा दिलाना चाहते हैं।

अनुच्छेद 27 –
प्रत्येक व्यक्ति को उस समाज में सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनन्द उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और उसके लाभों का उपभोग करने का अधिकार है।
किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त नैतिक और वस्तुपूरक हितों की सुरक्षा का अधिकार है जिसका वह प्रवर्तक है।

अनुच्छेद 28 –
प्रत्येक व्यक्ति किसी भी ऐसी सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों तथा स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 29 –
प्रत्येक व्यक्ति को उस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है ं जिसमें रह कर ही उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र तथा पूर्ण विकास संभव है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता का केवल उस सीमा तक ही उपयोग कर सकेगा जो अन्य लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को उचित मान्यता और सम्मान प्रदान करने तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा लो. कतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण संबधी वैध जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित की गई हो।
इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता का, किसी भी दषा में संयुक्त राष्ट्र के उद्देष्यों के तथा सिद्धान्तों के विपरीत उपयोग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 – इस घोषणा में उल्लेखित किसी भी बात की इस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे किसी राज्य, वर्ग अथवा व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने अथवा कार्यकलाप में भाग लेने का अधिकार मिल जाए जिसका उद्देष्य इस घोषणा में निर्धारित किसी भी अधिकार अथवा स्वतंत्रता पर प्रहार करना हो।

सत्ता

सत्ता क्या है

सत्ता या पावर एक व्यक्ति या समुह संस्था की दुसरे व्यक्ति या संस्था के व्यवहार व उसके इर्द गिर्द के माहौल को नियंत्रित करने की क्षमता का एक माप हैं। इसका मतलब सता वह ताकत है जब यह किसी को नियंत्रित करने या लोगों के निर्णय को नियंत्रित करने का काम करती है। हिन्दी में शक्ति व सत्ता दो शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कहीं हम सकरात्मक बदलाव के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो शक्ति कही जा सकती है। यही ताकत जब गैरबराबरी को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए की जाती हैं तो हम सत्ता कह सकते हैं।

क्योंकि सत्ता दो धटकों के बीच में होती है इसलिए समाज शास्त्री इसे दो धटको के सम्बंधों के बीच सत्ता का सन्तुलन कहते हैं। स्टचक्चरलिस्ट सामाजिक सिद्धांत में सत्ता एक प्रकिया हैं तथा सामाजिक ढांचे का एक पहलु है।

सत्ता के प्रकार :

किसी के ऊपर सत्ता : यह किसी व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर सत्ता का नकारात्मक रूप दर्षाता है जो कि सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार, दमन, दुर्व्यवहार तथा भेदभाव के रूप में व्यक्त होता है। इस प्रकार की सत्ता किसी का कुछ हनन करती है तथा उसका प्रयोग दूसरों पर प्रभुत्व जमाने या उनके लिए अड़चने पैदा करने के लिए किया जाता है।

किसी के साथ सत्ता : इसका स्वरूप सामूहिकता से जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्तियों/समूह के साथ एक साझे मंच पर एक साझे लक्ष्य तथा सर्वहित के लिए कार्य करता हैं। इस प्रकार के शक्ति या सत्ता संबंध विभिन्न व्यक्तियों के ज्ञान तथा क्षमताओं को एकत्रित और संगठित करते हैं।

किसी में सत्ता : यह वह षक्ति या सत्ता है जो स्वंय हमारे अपने जीवन को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। यह उन विचारों, साधनों, ज्ञान, धन, औजारों के रूप में व्यक्त होता है जिनके द्वारा हम स्वयं को तथा दूसरों को अपनी बातें मनवा सकते हैं। अगर यही षक्ति एक बड़े समूह में हो तो 'सह–षक्ति' या 'सह–सत्ता' का निर्माण हो सकता है। यही बात व्यक्ति के लिए भी लागू होती है। जैसे किसी भुक्तभोगी को ताकत का एहसास तब होता है जब उसे यह मालुम हो जाय कि कोई उसके साथ उसके संघर्ष में खड़ा होने वाला है।

अंतःसत्ता : यह उस अर्थ में है जहां हम स्वयं को परख या जान सकते हैं। यह व्यक्ति की उन क्षमताओं को इंगित करता है जिनसे वह स्वयं के लिए एक बेहतर जीवन की परिकल्पना कर सकता है, आषावान बन सकता है तथा इस

दुनिया को बदलने की कोषिष कर सकता है। यह षक्ति या सत्ता उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक बनाता है तथा उसे यह एहसास दिलाता है कि उसकी क्षमताओं के कारण उसका एक महत्वपूर्ण स्थान तथा भूमिका है।

मर्दानगी

मर्दानगी

मर्दानगी यानि मर्दाना का अर्थ है ''ऐसे रूप, गुण होना जो परम्परागत रूप से मर्दो के साथ जोड़े गये हैं'', इसका मतलब है कि मर्दानगी का संबंध, खास विशेषताओं और गुणों से है, शरीर या जैविकी से नही। शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्द मर्दाना और मर्दानगी के परिचायक हैं। नर, पुरूष, आदमी, जनक, जोशीला, निडर, हिम्मती, वीर, सख्त, तगड़ा, ताकतवर, लड़का, गर्म खून वाला, दृढ़प्रतिज्ञ, मजबूत दिल का, बलवान, नियंत्रक, प्रबल, दबंग, बहादुर, कद्दावर आदि। बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं सांड, पट्ठा, शेर का बच्चा आदि। इस सूची से पता लग जाता है कि हमारे समाज (पश्चिमी व पूर्वी) दोनों 'असली' मर्द के बारे में क्या सोचते हैं। इस प्रकार से मर्दानगी, लड़कों और मर्दों को दी गई एक सामाजिक परिभाषा है। इस तरह से चारित्रिक विशेषता के रूप में 'मर्दानगी' सामाजिक–सास्कृतिक है इसी वजह से यह समुदाय और समय में भिन्न होती है, यह मर्दानगी स्थिर नही है तथा लगातार नई रूप लेती रहती है इसमें आने वाला बदलाव आर्थिक ढर्रो, प्राकृतिक या सामाजिक स्थानान्तरण की वजह से हो सकते हैं जिसके कारण कई तरह की मर्दानगी दिखने लगती है जैसे मजदूर वर्ग तथा धनाढ्य या बौद्विक वर्ग की मर्दानगी में बहुत फर्क हो सकता है। एशिया की मर्दानगी यूरोप की मर्दानगी से भिन्न हो सकती है इसलिए बेहतर है कि एक तरह की मर्दानगी की बात करने की जगह मर्दानगियों की बात की जाय।

मर्दानगी के सिक्के का ही दूसरा पहलू जनानगी है। एक तरह से ये दोनों एक दूसरे से उलट हैं। औरत वह है जो मर्द नहीं है। ज्यादातर समाजों में मर्दानगी और जनानगी इसी विरोधी स्वरूप में देखी जा सकती हैं। यदि मर्दो को गुस्सा करने की इजाजत है तो औरतों को धीरज रखना चाहिए, वगैरह। एक के बगैर दूसरा कारगर नहीं हो सकता। यदि मर्द धौंस जमाना चाहें, लेकिन औरतें है उसे सहने से इन्कार कर दे तो ''शान्ति'' और ''मेलजोल'' भंग हो जाएंगे। इसी के साथ–साथ समाज में मर्दो की छवि, उनका दर्जा और गुण मानक है और औरतों के लिए जरूरी है कि वे उस मानक के अनुसार अपने आपको ढ़ालें।

कोई भी व्यक्ति (चाहे वह स्त्री हो या पुरूष) जिसमें मर्दानगी और जनानगी के गुण पाए जाते हैं उन्हे मर्दाना और जनाना कहा जाता है। मुलायमियत वाले मर्दो का, जो कि आक्रामक और दबावपूर्ण नहीं हैं, मजाक उड़ाते हुए, उन्हें 'जनाना' कहा जाता है। दूसरी ओर जो औरतें दबंग और सशक्त होती हैं उन्हें मर्दानी कहा जाता है। हिजड़े जैविकीय रूप से मर्द होते हैं, पर चाल ढाल और बर्ताव में जनाने होते हैं। इसका मतलब है मर्दानगी और जनानगी जैविकीय श्रेणियां नहीं हैं। हालांकि इन गुणों का औरत और मर्द के जिस्म से कोई वास्ता नही है, समाज में उन्हें इस सख्ती के साथ लागू किया जाता है कि वे औरतों व मर्दो के प्राकृतिक गुणों के रूप में नजर आने लगती हैं।

मर्दानगी पर ध्यान केन्द्रित करने से जेण्डर की धारणा दिखाई देने लगती है व पुरूषों के लिए ज्वलन्त बन जाती है। यह पुरूषों को जेण्डर के प्रति सजग बना देती है जिससे उनके अपने जीवन में असर दिखता है साथ ही साथ यह जेण्डर गैरबराबरी में चुनौती देने तथा महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रथम कदम होता है। पुरूषों द्वारा की गयी हिंसा जेण्डर सम्बन्धों में असमता व असम. ानता को दृढ़ता से निर्धारित करता है तथा दोनों महिलाओं को अषक्त व कमजोर बनाते हैं।

इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक ढॉचे व परिवार व्यवस्था में परिवर्तन से दुनिया के कई भागों में मर्दानगी संकट में आ जाती है। मर्दानगी के पुर्ननिर्माण से हो सकता है कि गरीबी और आर्थिक व सामाजिक बदलाव प्रभावित हो तथा पुरूषों के पारम्परिक भूमिकाओं को बदल दे तथा परिवार व समुदाय में दूसरे तरह के मायने पूर्ण भूमिका का सृजन करे, हो सकता है पुरूष अपनी मर्दानगी को दूसरी तरह बनाने का रास्ता ढूंढ़े जैसे गैरजिम्मेदाराना यौनिक व्यवहार या घरेलू हिंसा को हटाना।

वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा लम्बे समय तक बेरोजगारी पुरूषों की भूमिका व पह. चान जो परिवार को कमाकर खिलाने की है, को बदल रहा है। समानान्तर ही महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है– लगातार सार्वजनिक क्षेत्रों व आय से जुड़े कामों में भागीदारी बढ़ रही है तथा महिलाओं के मानव अधिकार को स्वीकार किया जाने लगा है, इससे पारम्परिक श्रम विभाजन व नारीत्व की परिभाषा में भी बदलाव आ रहा है। जहां मर्दानगी और जननांगी को एक दूसरे के पूरक तथा कुछ हद तक एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता है वहीं महिलाओं में कुछ बदलाव भी मर्दानगी की धारणा को चुनौती दे रहा है।

आज पुरूषों को समझने की जरूरत है कि किस तरह ढॉचागत दबाव, सांस्कृतिक संदेष तथा पितृत्व चलन मिलकर उनका हिंसा के लिए सामाजीकरण करता है।

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक तौर पर मर्दानगी व हिंसा के सम्बन्ध को समझने से पुरूषों के हिंसा को बदलने या कम करने में मदद मिलती है। जिस तरह हम लोग चर्चा करते हैं या मर्दानगी को देखते हैं जिसमे मर्दानगी पुरूषों के 'आक्रामकता' व 'उग्रता' को प्राकृतिक बताती है तथा विषेष राजनीतिक उद्देष्यों के लिए सैन्यवाद को पुष्ट करती है, इसे हिंसा का मर्दानगीकरण कहा जा सकता है। इसपर आज चुनौती खड़ी करने की जरूरत है।

मर्दानगी का सम्बन्ध कुछ खास विषेषताओं और गुणों से है जो परम्परागत रूप से मर्दो के साथ जोड़े गये हैं।
मर्दानगी एक सामाजिक परिभाषा है जो पुरूषों को नियत्रंक, सत्ताधारी व हिंसक के रूप में स्थापित करती है।

मर्दानगी समाज द्वारा रचित है। समाज द्वारा मर्दो के व्यवहार, चारित्रिक विषेषताओं, तौर–तरीकों, रवैए आदि तय किये जाते हैं, सिखाएं और सीखे जाते हैं।

मर्दानगी एक सामाजिक संरचना है जो समय के अनुसार एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बदलती रहती है अर्थात स्थानीय होती है जिसकी वजह से मर्दानगी कई रूपों में दिखाई देती है।

मर्दानगी की इस पहचान में पुरूषों में संवेदनषीलता, प्रेम व अन्य कोमल भावनाएं भी समाहित होती हैं अर्थात पुरूष का पर्यायवाची मर्दानगी नही होता।

मर्दानगी को मजबूत करने वाले कारक/मर्दानगी का सामाजीकरण –

हमारे जेण्डरीकरण और समाजीकरण की षुरूआत जन्म से ही हो जाती है जिसके अर्न्तगत समाज द्वारा तय किये गये बर्ताव, गुण व रवैए हम घर, परिवार के भीतर, स्कूल, धार्मिक संस्थानों आदि में सीखते हैं और हमे ऐसा लगता है जैसे मर्दानगी पैदाईष या कुदरती है। अगर वास्तव में यह कुदरती होता तो दुनिया के सारे पुरूष या महिला एक जैसे होते।

परिवार – हमारे समाजीकरण में परिवार की अह्म भूमिका होती है इसी प्रक्रिया में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग तरीके, रवैए, गुण, भूमिकाएं, हक तथा कीमते तय की जाती हैं। परिवार जहॉ मर्दो से रक्षक, पोषक, षासक, नियंत्रक आदि बनने की आषा करता है अर्थात उसी के अनुसार उन्हे तमाम् तरह के अवसर उपलब्ध कराता है वहीं ठीक इनके विपरीत अपनी कमजोरी, असुरक्षा की भावना जाहिर करने की इजाजत नही देता। अगर कोई लड़का रोता है तो उससे कहा जाता है कि लड़कियों की तरह रो रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाता है यानि आपको रोना नही है, अपनी कमजोरी को व्यक्त नही करना है, ये कूट कूट कर सिखाया जाता है। वैसे तो लड़कियों का जन्म लेना ही अपषकुन माना जाता है उन्हे हर क्षेत्र में लड़को की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। सेवा, त्याग, समर्पण सिखाया जाता है। यह प्रक्रिया पितृसत्तात्मक विचारधारा पर आधारित है जो मर्दो को उॅचा मानती है जिसके परिणाम हैं कि महिलाओं के साथ व्यापक स्तर पर होने वाली हिंसा को हिंसा नही माना जाता। परिवार के सदस्यों को अनुषासित रखने, झगडे निपटाने, अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसा को जायज तरीके के रूप में देखा जाता है।

धर्म – सामाजिक तौर पर मर्दानगी और धर्म के बीच गहरा अर्न्तसम्बंध है। सभी धर्मो में मर्दो को औरतों से श्रेष्ठ माना गया है जिसके तहत सभी धार्मिक संस्थाओं, विचारधाराओं तथा ग्रंथो की व्याख्याओं पर मर्दो का ही अधिपत्य है। धर्म ही औरत और मर्द के लिए आदर्ष व्यवहार व भूमिकाओं को तय करते हैं। पति, पत्नी, बेटे और बेटियों का दर्जा, अधिकार, उत्तरदायित्व क्या है यह भी धर्म में तय किया गया है। सभी धर्मो में विवाह, तलाक, उत्तरदायित्व आदि के बारे में नियम कानून बनाये गये हैं जो हमेषा औरतों व मर्दो के बीच असम. ानता को संस्थागत बनाते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ में तो यदि पत्नी सही रास्ते से भटक जाय तो पति को सजा देने का भी अधिकार दिया गया है।

संचार माध्यम – मर्दानगी की धारणा को मजबूत करने में संचार माध्यमों का भी बहुत बडा योगदान है। विभिन्न संचार माध्यमों में दिखाये जाने वाले विज्ञापन, धारावाहिक, फिल्म, नुक्कड–नाटक जो एक मानसिकता का निर्माण करते हैं आक्रामक व हिंसक मर्दानगी की छवि को आदर्ष मानते हैं व बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर हिंसक व्यवहार व प्रदर्षन करने वालों को माडल के रूप में देखा जाता है और स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जिन लोगों की छवि कमजोर है उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नही है। फलस्वरूप कमजोर लडको और लडकियों के साथ हिंसा होती है।

अन्य सामाजिक संस्थाएं – पुलिस, सेना, संगठित खेलकूद से जुडी संस्थाए आक्रामक मर्दानगी को प्रोत्साहित करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित एवं सक्रिय तरीके से मर्दानगी पैदा करने की कोषिष की जाती है। इनके तहत ऐसे गुणों का विकास किया जाता है जो पुरूषोचित गुणों की पुष्टि करते हैं।

मर्दानगी के स्वरूप –

आक्रामक मर्दानगी : चूंकि मर्दानगी सत्ता से जुड़ी है और सत्ता अधिकाषतः पुरूषों के पास ही रहती है इसलिए पुरूष का आक्रामक व्यवहार या गुण वाली छवि ही मुखर होती है जिसे आक्रामक मर्दानगी कहते हैं।

धौसपूर्ण या षासकीय मर्दानगी : षासकीय का अर्थ है सम्पूर्ण नेतृत्व या षासन। धौसपूर्ण या षासकीय मर्दानगी पूरी तरह कब्जा करने वाली या दूसरों पर सत्ता के इस्तेमाल से है क्योंकि यह षासन करती है और नियंत्रण करती है। यह हमेषा अपने अधीन या कमजोर पर लागू होती है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो मर्द अपेक्षित ऊंचे मापदण्ड तक नहीं पहुंच पाते उन्हे जनाना कहा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। यहां तक कि उनका यौन षोषण भी किया जाता है।

सामूहिक मर्दानगी : समूह के रूप में ताकत का प्रदर्षन है। चाहे वह सड़क जाम का हो या किसी भी तरह का षक्ति प्रर्दषन हो, चाहे वह अपने अधिकारों के लिए ही हो।

समानान्तर/वैकल्पिक मर्दानगी : यदि हम जेण्डर समानता पर विष्वास करते हैं तो हममें से प्रत्येक को सकारात्मक पुरूष तथा सकारात्मक स्त्री का संतुलित तालमेल बनाना होगा और यह तभी संभव है जब हम अपने सत्ता और दबाव के लालच को त्याग दें, ताकत के गलत इस्तेमाल को छोड़ दे व अपनी षक्तिहीनता, गुलामी और दबने की आदत से छुटकारा पा लें। इसके लिए हमें स्वंय, रिष्तों, परिवार, समुदाय और अन्य सभी संस्थाओं में बदलाव लाना होगा। हमें अध्यात्म और विकास, अर्थषास्त्र और नीतिषास्त्र, विज्ञान और नैतिकता के बीच विरोधों पर सवाल खड़ा करना होगा तथा उसे दूर करना होगा। अब तक मर्द समस्या का हिस्सा रहे हैं और अब उन्हें समाधान का हिस्सा बनना होगा। इस प्रकार वैकल्पिक मर्दानगी जेण्डर भूमिकाओं व सत्ता संरचना में बदलाव की बात करती है।

मर्दानगी और सत्ता का सम्बंध :

यदि हम वास्तविक जीवन में देखते हैं तो पता चलता है पुरूष केवल सत्ताधारी ही नही होता वरन् सत्ताहीन भी होता है। समाज में व्याप्त गैरबराबरी की व्यवस्था के कारण सत्ता का स्वरूप बदलता रहता है जिसके कारण हमारी विभिन्न पहचान (लिंग, जाति, नस्ल, षिक्षा, राजनीति, ताकत आदि) हमें अलग–अलग परिस्थितियों में सत्ताधारी व सत्ताहीनता का एहसास कराती है। हमारी इस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में मर्दो को औरतों से श्रेष्ठ माना गया है जिसके कारण उन्हें कुछ न कुछ सुविधाएं प्राप्त है। जिससे वे दूसरों पर सत्ता प्रदर्षित करते हैं। जो सत्ता प्रदर्षित करते हैं वे मर्दाना और जिन पर सत्ता प्रदर्षित की जाती है उन्हें जनाना कहा जाता है।

लेकिन यह स्थिति हमेषा एक सी नही रहती। जो मर्द आक्रामक नही होते, नरम दिल, दूसरो का ख्याल रखने वाले और होड़ से दूर रहने वाले होते हैं उन्हें जन. ाना या औरत जैसा कहकर बेइज्जत किया जाता है। और इसी प्रकार जो औरते नियंत्रक होती हैं उन्हे मर्द जैसी कहकर तारीफ की जाती है जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झॉसी वाली रानी थी अर्थात मर्द के लिए औरत जैसा होना बेइज्जती की बात है जबकि औरत के लिए मर्द जैसी होना इज्जत की बात है।

आधिकारिक पदों पर काम करने वाली औरतों पर दबाव होता है कि वे मर्दो जैसा बर्ताव करें क्योंकि मर्दाना व्यवहार व तरीका अपनाये बिना सत्ता और ताकत की मर्दानी व्यवस्था पर कब्जा नही कर सकती। इस प्रकार चाहे औरत हो या मर्द, जो भी सत्ता और नेतृत्व पद पर है मर्द समझा जाता है। इस तरह से ताकत, सत्ता दूसरों पर नियंत्रण या नेतृत्व के गुण आदि मर्दानगी के प्रमुख लक्षण है जिसकी वजह से असली मर्द अपनी भावनाओं या कमजोरियों का प्रदर्षन नही करते हैं। इस प्रकार मर्दानगी और जननांगी का सम्बन्ध सत्ता और ताकत से है। मर्दानगी को समझने और उसे चुनौती देने का अर्थ है सत्ता और षक्ति को समझना।

यौनिकता

यौनिकता

हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें एक ही तरह की यौनिकता को मान्यता दी जाती है– षादी के रिष्ते में बधे हुए औरत और मर्द की। एकमात्र उसी को प्राकृतिक और सामान्य बताया जाता है। इसमें भी मर्द की यौनिकता निर्णायक और प्रधान है। औरत की यौनिकता तो वंष चलाने का एक जरिया भर है। यहां तक कि औरत या मर्द होने का मतलब है, दोनो के बीच रिष्ता हो, उनकी भूमिकाएं क्या हों और इनके मुताबिक परिवार का स्वरूप क्या हो– इन सबका सामाजिक ताकतें ऐसा रूप तय करती हैं जिनसे कि समाज में गैरबारबरी बनी रहे। इन सामाजिक ताकतों में महत्वपूर्ण है पितृसत्ता, जिसे बरकरार रखने के लिए विषमलैंगिकता (यौनिकता का वो रूप जिसमें केवल औरत और मर्द के बीच आकर्षण हो) और जेण्डर की एक संकीर्ण परिभाषा की जरूरत होती है। अगर औरत में औरतों से अपेक्षित गुण न हों, मर्द में मर्दो से जुड़े गुण न हों और ये षादी में बंध कर अपनी तय भूमिकाएं निभाते हुए परिवार न बनाएं, तो पितृसत्ता की व्यवस्था चलेगी कैसे? वे सभी जो इस 'आदर्ष संरचना' के बाहर जीने की हिम्मत रखते हैं, उन्हे नैतिकता और समाज के लिए खतरा माना जाता है। इस खतरे के कारण सामाजिक व्यवस्था या तो इस 'आदर्ष संरचना' से अलग जाने वाले के अस्तित्व को पूरी तरह नकार देती है या उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर देती है कि वे पष्चिमी सभ्यता की उपज हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे समाज में लेस्बियन औरतें हैं ही नहीं या पष्चिमी रंग में रंगे हुए उच्च वर्ग के मुट्ठी भर षहरी युवक ही गे हैं। जब उनकी उपस्थिति को अनदेखा करना मुष्किल हो जाता है, तो उन्हे इस तरह दण्डित किया जाता है कि उनके लिए स्वतंत्र व गरिमामय जीवन जीना दूभर हो जाता है।

पिछले कुछ दषकों में समलैंगिक इच्छा रखने वाले लोगों, जिसमें लेस्बियन (औरत जो औरत के प्रति आकर्षित है), गे (मर्द जो मर्द के प्रति आकर्षित है), बाईसेक्स्युअल (औरत और मर्द दोनों के प्रति आकर्षित), ट्रान्सजेडर्ड (औरत और मर्द की परिभाषा में नहीं बंधे हुए), हिजड़ा आदि षामिल हैं, की ओर से हिंसामुक्त और भयमुक्त, गरिमामय जीवन के संवैधानिक मानव अधिकार की मांग भारत के अलग–अलग कोनों से उठ रही है। यह आंदोलन ऐसे लोगों के विरूद्ध हो रहे मानव अधिकारों के हनन का विरोध कर रहा है।

समलैंगिक अधिकार मानव अधिकार हैं! यौनिक अभिरूचि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। यह एक बुनियादी मानव अधिकार है क्योंकि किसी को जबरदस्ती उसकी यौनिक अभिरूचि बदलने या उसे स्वीकार करने या उसके ऐसा न करने पर दण्ड देने वाले कानून तथा प्रथाएं मानव व्यक्तित्व के एक गहरे पहलू पर चोट पहुंचाती हैं। ऐसे कानून और प्रथाएं समलैंगिक लो.गों की षारीरिक व मानसिक प्रतिष्ठा को नकारते हुए घोर मनोवैज्ञानिक और षारीरिक हिंसा करते हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति की बुनियादी गरिमा तथा हैसियत को चोट पहुंचती है। इसलिए यौनिक पहचान या अभिरूचि और सहमति–प्राप्त वयस्क समलैंगिक यौन संबंधों को आपराधिक करार देने को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

समलैंगिक :

समलैंगिक अपने को ऐसे पुरूष के रूप में पहचानते हैं जो दूसरे पुरूष के प्रति आकर्षित होते हैं तथा उनसे यौनिक आनन्द प्राप्त करते हैं। समलैंगिकता अत्यन्त व्यक्तिगत मुद्दा है। किसी की व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह व्यक्तिगत इच्छा का मामला है, जिसका यौनिक व्यवहार से बहुत कम लेना देना है। भारत में यह बहुत आम है जहॉ लोग दूसरे पुरूषों के साथ आनन्द उठाते हैं, किन्तु समलैंगिक मानक से अपने को नहीं पहचानते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति यौनिक आकर्षण के वर्णाक्रम विस्तार (स्पैक्ट्रम) पर बीच में कहीं भी हो सकता है। यह आंका गया है कि केवल 10 प्रतिषत जनसंख्या पूरी तरह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होती है। यह भी अनुमान है कि 10 प्रतिषत पूरी तरह उसी लिंग के लोगों से आकर्षित होते हैं। बाकी 80 प्रतिषत कहीं भी बीच में होते हैं। समाज के जोरदार दबाव व मॉ–बाप तथा दोस्तों द्वारा अपेक्षित व्यवहार के कारण 80 प्रतिषत से ज्यादातर लोग (और 10 प्रतिषत समलिंगी में से भी कई लोग) मुख्यतः विपरीत लिंगी यौन सम्बन्धों की जीवन षैली को चुनते हैं और महिला व पुरूष दोनो समलिंगी हो सकते हैं और होते हैं। पुरूष समलिंगी ज्यादा दिखाई पड़ते हैं क्योंकि समाज पुरूषों को आमतौर पर यौनिक के मामलों में ज्यादा खुला होने व इच्छा रखने की अनुमति देता है।

समलैंगिकता एक मानवीय गुण है, इसका राष्ट्रीयता से कोई लेना–देना नहीं होता। यह कहा जा सकता है कि समलैंगिकता का आचरण व अहसास काफी पुराने समय से (आदि काल) होता आया है। समलैंगिकता का व्यवहार कई प्राचीन सहित्यों में विस्तार से वर्णित है, जिसमें कामसूत्र भी षामिल है तथा खजुराहो व अन्य प्राचीन भवनों पर वर्णित है। हिजरा गृहिणीयों को रखने की परम्परा या हरम में युवा लड़कों को रखने के बारे में किये गए अभिलेख ईसा के 1500 वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं।

महिला और पुरूष दोनों इस तरह का आकर्षण रख सकते हैं। जीवन के विभिन्न समय में विभिन्न लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव लोगों द्वारा किया जाता है। ज्यादातर लोगों के जीवन में एक समय दूसरे उसी लिंग के प्रति कुछ हद तक आकर्षण अनुभव होता है। यह आम है तथा इसे सामान्य माना जाना चाहिए।

(स्रोत : नाज फाउण्डेषन गाइड)

गे :

समलिंगी पुरूष जो इस समूह के लोगों के अधिकार को स्थापित करने के आंदा. लन से जुड़े हैं अपने को गे कह सकते हैं और कहते हैं कि वे गे के अधिकार के लिए काम करते हैं।

हिजड़ा (यूनक्स) :

हिजड़ा जन्मजात तथा बाद में बद्धी (कास्ट्रेटेड) किया हुआ पुरूष है जिसने अपने अण्डकोष को यौनारम्भ से पहले ही निकलवा दिया है ताकि दूसरे यौनिक लक्षणों

का विकास न हो सके। पुरूष हारमोन के कमी से कुछ विषेष लक्षण पैदा होते हैं जैसे महिलाओं जैसी आवाज या चेहरे पर बाल न आना आदि।

मध्य या कुछ एषियाई देषों में हिजरा हरम की महिलाओं की सुरक्षा के लिए नौकरी पर रखे जाते हैं। हिजड़ापन पुरूष हारमोन के पूर्ण कमी का प्रतिफल है। यह कोषिकाओं के या जनन अंगो या अण्ड कोष के छोटे होने के कारण या एकदम न होने के कारण होते हैं। ये पुरूष आमतौर पर अपेक्षित पुरूष जैसे नहीं बनते, जैसे– पुरूष की आवाज या पुरूषों को आने वाली दाढ़ी मूंछ या पूरे षरीर पर बाल आदि। हिजड़ा अपने को महिला जैसा मानते हैं। अतः वे महिला जैसे कपड़े पहनते हैं या वर्ताव करते हैं। उनके अन्दर कपड़ों व ज्वैलरी के प्रति, फैषन के प्रति काफी आकर्षण रहता है। वे काफी चटक रंग के कपड़े पहनते हैं तथा काफी सजते–संवरते हैं।

हिजड़ा भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्हें काम नहीं दिया जाता इसलिए उन्हें भीख मॉगना या सड़क पर नाचना पड़ता है। वे उनके साथ ज्यादा सटने की कोषिष करते हैं जो लोग इनके अमर्यादित व्यवहार या तंग करने वाले व्यवहार से डरते हैं। (स्रोत : एजुकेषन इन ह्रयुमन सेक्सुअलिटी)

एम.एस.एम. (मेन हू हैव सेक्स विथ मेन) :
सारे पुरूष जो दूसरे पुरूषों के साथ संभोग करते हैं वे अपने को समलिंगी या गे नहीं मानते। कई सारे षादीषुदा दूसरे पुरूषों के साथ सेक्स करते हैं।

कोथी : स्वंय द्वारा परिभाषित कोथी हमेषा जनाना व्यवहार के लक्षणों को अपनाते हैं। वे गुदा मैथून कराते हैं। वे अपने कामुक हरकतों द्वारा पंथी पुरूष को लुभाने का प्रयास करते हैं जिसमें मुख मैथुन, गुदा मैथुन व हस्त मैथुन षामिल होता है। एक कोथी दूसरे कोथी से सीखते हैं।

पंथी : ये पुरूष हैं जो आमतौर पर गुदा मैथुन करते हैं (लिंग का दूसरे के गुदा में प्रवेष) तथा उम्मीद की जाती है कि कोथी की अपेक्षा ज्यादा मर्दाना होंगे। यह देखा जाता है कि इसमें से ज्यादा लोगों की कोई यौनिक पहचान नहीं होती जैसे समलिंगी या गे। ये आमतौर पर वे पुरूष हैं जो वीर्य गिराने के लिए साधन ढूढ़ते हैं। ये तुल्नात्मक रूप से अपने साथी की यौनिक पहचान के प्रति काफी उदासीन होते हैं। उनमें से कुछ अक्सर उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं और उनमें से कुछ का किसी विषेष कोथी के साथ सम्बन्ध भी हो जाता है जिसको वे चाहते हैं। (स्रोत : प्रयास नेटवर्क, लैग्वेंज एण्ड सेक्सुअल विहैवियर ऑफ मैन)

लेस्बियन :
जबकि समलैंगिकता तकनीकी तौर पर महिला और पुरूष दोनों को षामिल करती है जो अपने ही लिंग में सेक्स करते हैं, किन्तु लेस्बियन एक पहचान है जो केवल महिलाओं व महिलाओं की वरीयता पर ही लागू होती है। दो या दो से अधिक महिलाएं चूमती हैं, लाड़ करती हैं या दुलारती है तथा हस्तमैथुन करती हैं जिससे उन्हें यौनिक आनन्द मिलता है। (स्रोत : एजुकेषन इन ह्रयुमन सेक्सुअलिटी)

ट्रान्स वेस्टाइट्ज (विपरीत लिंगी पहनावा व्यवहार) :
ट्रान्सवेस्टाइट एक यौनिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति विपरित लिंग के पहनावे को या साज को पहन कर यौनिक उत्तेजना को महसूस करता है। आज के स्टाइल में जहॉ पर यूनीफार्म के कपड़े का चलन है, विपरीत लिंग के कपड़े पहनने के प्रति आकर्षण की कम मांग है। एक पुरूष अतिरंजित जनाने कपड़े, चमकदार वार्डर वाले अण्डरवेयर, बड़े–बड़े नकली बाल (विग) चेहरे पर सजावट आदि इस्तेमाल कर सकता है।

ट्रान्स सेक्सुअल :
ट्रान्स सेक्सुअल जैवकीय रूप से महिला या पुरूष कोई भी हो सकता है, किन्तु विपरीत लिंग जैसे व्यक्ति बनने की इच्छा रखता है। ट्रान्स सेक्सुअल महसूस करते हैं कि वे गलत षरीर में बॉध दिए गए हैं और सरजरी के किसी हद तक जा सकते हैं तथा अपना हारमोन बदलवा कर अपना लिंग बदलवा सकते हैं। ट्रान्स सेक्सुअल को सरजरी में जाने से पहले गहरे मनोवैज्ञानिक परामर्ष की आवष्यकता होती है।

(स्रोत : एजुकेषन इन ह्रयुमन सेक्सुअलिटी)

यौनिक अधिकार जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है :

यौनिक अधिकार कुछ नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है (कोरिया और पचेस्की)। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं–

षारीरिक निष्ठा (बॉडिली इंटिग्रिटी) – अपने षरीर पर नियंत्रण और सुरक्षा का अधिकार। इसका अर्थ है कि सभी स्त्रियों और पुरूषों को न केवल अपने षरीर को हानि से बचाने का बल्कि अपने षरीर का पूरा संभावित आनंद उठाने का अधिकार है।

स्वाधिकार (परसनहुड) – स्वाधीनता का अधिकार। इसका अर्थ है कि सभी स्त्रियों और पुरूषों को अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार है।

समानता (इक्वॉलिटी) – सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें आयु, जाति, वर्ग प्रजाति, लिंग, षारीरिक योग्यता, धार्मिक या अन्य विष्वासों, यौनिक प्रवृत्ति तथा अन्य ऐसे कारणों पर आधारित भेदभावों के बिना मान्यता दी जानी चाहिए।

विविधता (डायवर्सिटी) – भिन्नता के लिए आदर। लोगों की यौनिकता ओर उनके जीवन के अल्य पहलुओं में विविधता भेदभाव का आधार नहीं होना चाहिए। विविधता के सिद्धांत का दुरूपयोग पिछले तीनों नैतिक सिद्धान्तों के लिए नहीं होना चाहिए। (स्रोत : सामान्य आधार यौनिकता–तारषी)

यौनिकता व स्वास्थ्य पर प्रष्नोत्तरी

हस्तमैथुन से कमजोरी आती है :
हस्तमैथुन एक सुरक्षित और नैसर्गिक यौनिक क्रिया है। इसका षरीर पर कोई नुकसानदेह प्रभाव नहीं पड़ता। कई धार्मिक व अन्य लोगों द्वारा हस्तमैथुन के बारे में अपराध बोध पैदा किया जाता है। हस्तमैथुन बहुत ही आम है और यह पुरूषों व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। असल में हस्त मैथुन सुरक्षित यौनिक क्रिया का एक प्रकार है।

पुरूषों की नसबन्दी से यौनिक इच्छा क्षमता व आनन्द में कमी आती है :
पुरूषों की नसबन्दी से यौनिक इच्छा व क्षमता में कत्तई कमीं नहीं आती। नसबन्दी के बाद पुरूष उसी तरह से चरमोत्कर्ष तक पहुंचते हैं जैसे पहले। बस वीर्य में षुक्राणु नहीं होते। वर्तमान में चीरा रहित नसबन्दी की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। व्यक्ति नसबन्दी के 10 दिन या एक पखवारे के अन्दर पुनः यौन सम्पर्क कर सकता है। जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से यह आवष्यक है कि पुरूष गर्भनिरोधक अपनाने की जिम्मेदारी वहन करें। 98 प्रतिषत नसबन्दी महिलाओं की होती है। दुनिया के दूसरें भागों में महिलाओं की तुलना में पुरूषों की नसबन्दी का अनुपात भारत से पूरी तरह अलग है उनके यहां 80 प्रतिषत नसबन्दी पुरूषों की होती है। पुरूष नसबन्दी ज्यादा कराने के लिए पुरूष व महिला दोनो को उत्साहित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

महिलाओं की यौनिक इच्छा पुरूषों से कम होती है :
इस पर विष्वास करने के लिए महिलाओं और पुरूषों दोनों का समाजीकरण किया गया है। जबकि पुरूषों के बारे में इसके विपरीत उम्मीद की जाती है। महिलाओं द्वारा अपने यौनिक इच्छा को जाहिर करना उनके गिरे हुए व सषंकित चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। यौनिक इच्छा या कामना का संचालन सभी महिलाओं और पुरूषों के षरीर में समान रूप में विद्यमान एक अन्तःस्रावी रस टेस्टोस्टोरोन हारमोन द्वारा होता है। किसी भी महिला या पुरूष की यौनिक इच्छा के प्रकटीकरण भी तीव्रता या रूप उसके समाजीकरण द्वारा निर्धारित होता है।

विधवा को निरामिष व तला भोजन नहीं खाना चाहिए :
खाने की यौन इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। विधवा महिला पर यौनिकता के आधार पर खाने को प्रतिबंधित करना अन्याय व भेदभाव पूर्ण है। विधवा महिला की यौनिकता को प्रतिबंधित करना भी उनके यौनिक अधिकारों के खिलाफ है। यह एक सामाजिक निर्देष है जो कहता है कि विधवा महिला को यौनिक कामना नहीं होनी चाहिए जबकि यह एकदम सामान्य अवस्था है जहॉ यौनिकता महसूस हो व अभिव्यक्त हो। विधवा की यौनिकता से जुड़ा दोहरा मापदण्ड स्पष्ट रूप से दिखता है। विधुर (पुरूष) को केवल छूट ही नहीं दी जाती है बल्कि पुनः दूसरी षादी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है, जबकि विधवा (महिला) पर बहुत सारे प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं।

समलैंगिकता असामान्य है और यदा–कदा होती है :
समलैंगिक लोग वे हैं जो अपने ही लिंग के व्यक्ति के प्रति यौनिक रूप से आकर्षित होते हैं। यहां तीन बड़े समूह बनते हैं– 'गे' जो पुरूष समलैंगिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं, 'लेस्बीयन' जो महिला समलैंगिक रूप से अपनी पह. चान रखती हैं, एवं 'उभय लैगिंक' जो यौनिक रूप से दोनों लिगों के प्रति आकर्षित होते हैं। एम.एस.एम. (मेन हू हैव सेक्स विथ मेन) पुरूषों का एक समूह है, जो जरूरी नही है कि समलैंगिक रूप से पहचाने जाते हो, किन्तु पुरूषों के साथ यौनिक संबंध रखते हैं, जब जरूरत समझते हैं या मौके उपलब्ध होते हैं। समलैंगिक इक्का–दुक्का नहीं हैं और भारतीय साहित्य तथा मन्दिरों के भवनों पर काफी लम्बे समय से चित्रित किये गए हैं। एम.एस.एम. भारत में काफी आम हैं तथा एड्स से सम्बंधित कार्यक्रमो में उन पर फोकस भी मिल गया है। समलैंगिक इक्का दुक्का है या असामान्य है यह विचार भारत में विक्टोरिया काल के इंग्लैण्ड से आया है। 'सेक्सन 377 – अप्राकृतिक यौन सम्पर्क' जो कि डाक्टरों के उनके फोरेन्सिक मेडिसिन के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, उसे भी विक्टोरियन काल में लागू किया गया था। यद्यपि इंग्लैण्ड में इस तरह का कोई कानून वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है।

केवल एक साथी से यौन सम्पर्क रखना, एच0आई0वी0 और अन्य सक्रंमित बीमारियों से बचाता है :
यह केवल तभी सच है जब तक की दोनों व्यक्ति केवल एक यौन साथी से सम्पर्क रखते हैं जैसे– केवल वहीं दोनों एक दूसरे के पार्टनर रहें। वास्तविकता यह है कि महिलाओं व पुरूषों के जेण्डर मानक अलग–अलग होने के कारण ज्यादातर पत्नियों के पास केवल एक यौन साथी होते हैं (जैसे उनके पति) किन्तु उनके पति के विवाहेत्तर सम्बन्ध हो सकते हैं (या पूर्व वैवाहिक सम्बन्धों में)। इस परिस्थिति में महिलाओं के लिए भी जो एकनिष्ठ/पतिनिष्ठ व्यवस्था में है एच.आई.वी. व अन्य यौन संक्रमित रोगों के होने का जोखिम कम नहीं होता, यहां कुछ अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि एकल यौन साथी सम्बन्ध में रहने वाली महिलाएं भी एच.आई.वी. से ग्रसित हैं।

गर्भ निरोधक सेवाएं एकल किषोरों व किषोरियों के लिए जरूरी नहीं हैं :
गर्भ निरोधक सेवाएं एकल, किषोरों व किषोरियों के लिए भी जरूरी हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अध्ययन दिखाते हैं कि किषोर लड़कों में यौनिक गतिविधि उनकी षादी होने से भी काफी पहले प्रारम्भ हो जाती है, समुदाय आधारित किषोर स्वास्थ्य विकास कार्य के क्षेत्र में अनुभव यह सूचित करते हैं कि एक बार लड़के और लड़कियों को उनके षरीर व यौनिकता की जानकारी मिल जाएगी तो गर्भनिरोध की मांग बढ़ जाती है। किषोरावास्था ऐसा समय है जिसमें यौनिकता के बारे में जानने की उत्सुकता काफी अधिक होती है। किषोरों को पता होना चाहिए कि यदि वे गर्भनिरोधक चाहते हैं तो वे प्राप्त कर सकते हैं।

लड़की को षादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए :
यह लड़कियों के लिए भेदभाव पूर्ण सामाजिक मूल्य है। कौमार्य व सूचिता का मूल्य महिलाओं के आत्मसम्मान को बहुत ही अधिक गिराने व कई हिंसक

परम्पराओं व अनुषासनों को बढ़ाता है। षादी से पहले महिलाओं में गर्भ ठहरने का जोखिम बहुत आसानी से गर्भ निरोधक के ठीक से उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। भारत में हुए अध्ययन के अनुसार महिला व पुरूष दोनों षादी से पहले यौन सम्पर्क करते हैं। यद्यपि पुरूषों में इनका अनुपात ज्यादा है। यदि हम महिला पुरूष में बराबर के अधिकार में विष्वास करते हैं तो इन सामाजिक मूल्यों की फिर से व्याख्या/परिभाषित करनी चाहिए।

सेक्स का मूल उद्देष्य बच्चे पैदा करना है :

मानव में यौन कर्म की प्रक्रिया व प्रजनन की प्रक्रिया जैवकीय रूप से अलग–अलग है। मानव मादा किसी समय भी सेक्स कर सकती है किन्तु वह गर्भ धारण कुछ समय ही कर सकती है। माहवारी की पूरी प्रक्रिया अन्य बच्चा देने वाले मादा जीवों से बिल्कुल भिन्न है इसलिए यौन सम्पर्क का उद्देष्य केवल बच्चा पैदा करना ही नहीं है। यौन सम्पर्क के अन्य उद्देष्य भी है– आनन्द प्राप्त करना, प्यार व आकर्षण को व्यक्त करना, व्यक्ति की वैवाहिक कर्तव्य को पूरा करना, और ढेर सारी चीजें।

माहवारी के दौरान महिला के साथ यौन सम्पर्क रखने से पुरूष में बीमारी हो जाती है :

माहवारी के समय महिला के साथ यौन सम्पर्क करने से पुरूष में बीमारी हो जाती है, यह विष्वास 'माहवारी एक गन्दी चीज है' के विचार से जुड़ा हुआ है।

(साभार : जेण्डर , यौनिकता, हिंसा व स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण हेतु मर्गदर्शिका– सहयोग)

हिंसा
व
जेण्डर आधारित
हिंसा

हिंसा की परिभाषा

विश्व स्वास्थ्य संगठन "डब्लूएचओ" द्वारा की गई हिंसा की परिभाषा – "अपने या अन्य व्यक्ति या समूय या समुदाय के खिलाफ़ सोच समझकर शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल या उसकी धमकी जिसका परिणाम या संभावना चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि या विकास से वंचित होना हो।"

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला हिंसा की पहली अधिकारिक परिभाषा – "जेण्डर आधारित हिंसा, हिंसा की कोई भी ऐसी कार्यवाही अथवा उसकी धमकी, जोर–जबरस्ती या मनमाने ढ़ंग से आजादी का हनन, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में जिसका परिणाम औरतों के लिए शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक हानि अथवा उत्पीड़न होता है या होने की संभावना है।"

जेण्डर आधारित हिंसा क्या है?

जेण्डर आधारित हिंसा की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है :–

"हिंसा में पुरूष और महिला दोनों षामिल हैं, जिसमें महिला सामान्यतया भुक्तभोगी व पीड़ित हो जाती है, जो महिला व पुरूषों के असमान सत्ता सम्बंधों की उपज है।"

महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा को प्रायः "जेण्डर आधारित हिंसा" के अर्न्तगत देखा जाता है, क्योंकि यह समाज में महिलाओं के दोयम/कमतर जेण्डर दर्जे के कारण पैदा होती है। ज्यादातर संस्कृति, पारम्परिक विष्वास, मानक व सामाजिक संस्थाएं इन्हे वैधता देती हैं, बनाए रखती हैं तथा बढ़ाती हैं।

"जेण्डर आधारित हिंसा" की धारणा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दूरगामी असर व व्यवस्था को समझने व परखने के लिए नया सन्दर्भ देता है। इसमें महिलाओं को एक पीड़ित के रूप में देखने के बजाय महिलाओं व पुरूषों के बीच जेण्डर व असमान सत्ता सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करता है जो जेण्डर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को दबा देते हैं।

जेण्डर आधारित हिंसा में महिलाओं पर हिंसा क्योंकि वे महिला हैं और पुरुष के खिलाफ़ क्योंकि वे पुरुष हैं पर आधारित होता है। इसमें शामिल है यौनिक हिंसा, घरेलू हिंसा, भावनात्मक व मानसिक प्रताड़ना, जबरन यौन कर्म में धकेलना, यौनिक उत्पीड़न, हानिकारक परम्परागत कार्य जैसे जबरन शादी, लिंग जांच, आदि भेदभावात्मक कार्य जो जेण्डर पर आधारित हैं।

हिंसा के प्रकार –

षारीरिक	मानसिक / भावनात्मक	आर्थिक	यौनिक हिंसा
गला दबाना अनचाहे तरीके से छूना छेड़ना मारना–पीटना बल प्रयोग जला देना हाथ–पैर तोड़ देना हत्या करना फांसी लगाना पानी में डुबोना	बहलाना–फुसलाना दबाव बनाना ताने मारना धोखा देना डर पैदा करना लालच देना गाली देना अपमानित करना बेइज्जती करना घर से निकालना षादी के लिए राजी करना	पैसा छीनना सम्पत्ति से बेदखल करना मजदूरी न देना नौकरी न करने देना	यौनिक सम्बंध पर जोर जबरदस्ती षादी जबरदस्ती पकड़ना बलात्कार जबरदस्ती छूना अनचाहे सहलाना अपहरण अष्लील साहित्य दिखाना व पढ़ाना षीटी बजाना गाना बजाना चुम्मा लेना

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

महत्वपूर्ण परिभाषाएं:

पीड़ित महिला : मॉ, बहन, बेटी, पत्नी, दूसरी पत्नी या कोई अन्य औरत (कोई ऐसी महिला जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रहती हो या रही हो)।

आरोपी व्यक्ति : पिता, पुत्र, पति, भाई, मित्र आदि (कोई वयस्क पुरूष जो पीड़िता के साथ घरेलू नातेदारी में रहता हो या रहा हो)।

घरेलू नातेदारी : ऐसे दो व्यक्ति जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या थे जिनमें खून का रिष्ता, विवाह या विवाह समान रिष्ता, दत्तक या गोद, संयुक्त परिवार के सदस्य के रिष्ते।

साझी गृहस्थी : ऐसी जगह जहां पीड़िता, आरोपी के साथ अकेले, घरेलू नातेदारी, संयुक्त स्वामित्व या किरायेदारी में रहती है या रह चुकी है।

बालक : ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु का है इसके अर्न्तगत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बच्चा है।

घरेलू हिंसा (धारा 3) – किसी भी पुरूष द्वारा किसी भी महिला के साथ जो साझी गृहस्थी में पत्नी, बेटी, मॉ, बहू, भाभी, बहन या विवाह की तरह के किसी भी रिष्ते में रहती हो, के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग को कोई नुकसान पहुंचाता हो या पहुंचाने की आषंका हो घरेलू हिंसा होगी, जिसके तहत षारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक व लैगिंक दुरूपयोग षामिल है।

षारीरिक हिंसा से आषय किसी भी तरह से मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना या किसी अन्य तरह से षारीरिक पीडा पहुचांना आदि।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा से आषय पुरूष सन्तान न होने व दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, धमकी देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, आने जाने से रोकना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, किसी से मिलने से रोकना, पसंद के विवाह करने से रोकना, आत्महत्या करने की धमकी देना आदि।

आर्थिक हिंसा से आषय आर्थिक या वित्तीय संसाधनों के हक छीनना, संपत्ति व स्त्रीधन से बेदखल करना व प्रयोग करने से रोकना है, महिला व बच्चे के भरण–पोषण के लिए धन उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना, घर के किसी भाग में जाने से रोकना, मकान का किराया न देना, आय को छीन लेना आदि।

लैंगिक/यौनिक हिंसा से आषय बलात्कार, अष्लील साहित्य या तस्वीर देखने के लिए मजबूर करना, महिला की गरिमा का दुरूपयोग, अपमानित करने या नीचा दिखाने की नियति से लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य करना या बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार है।

षिकायत कौन व किससे कर सकता है?

घरेलू हिंसा की षिकायत पीड़ित महिला या पीड़ित महिला की तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति, रिष्तेदार, चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाला, जान–पहचान वाला या पड़ोसी जिसके पास ऐसा विष्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है, तो लिखित या मौखिक रूप से जहां पीड़ित महिला रह रही है के –

- नजदीकी संरक्षण अधिकारी
- सेवा प्रदाता/महिला संगठन
- मजिस्ट्रेट या
- नजदीकी थाने के पुलिस अधिकारी

को षिकायत कर सकती/सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए कोई सिविल या दांडिक दायित्व नही होगा। धारा 4(2)

पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य (धारा 5) –

पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की घटना की कोई रिपोर्ट दी जाती है तो वह पीड़ित व्यक्ति को निम्न जानकारी देगा –

इस अधिनियम के अधीन दिये गये अधिकारों की : किसी संरक्षण आदेष, धनीय राहत के लिए किसी आदेष, अभिरक्षा आदेष, निवास आदेष, प्रतिकर

आदेष या ऐसे आदेष जिससे किसी राहत को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की।
सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की – 1. विधिक सहायता, 2. चिकित्सीय सहायता, 3. आश्रय गृह, 4. मनोचिकित्सीय परामर्ष, 5. पारिवारिक परामर्ष, 6. चेतना कार्यक्रम, 7. कोई अन्य सेवा
संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन निःषुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की।
जहॉ कहीं उपयुक्त हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देना।

घरेलू हिंसा की षिकार महिला के अधिकार –
संरक्षण अधिकारी की सहायता और सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अपनी षिकायत दर्ज करने, सहायता करने और अधिनियम के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन करने में सहायता करने।
अधिनियम के अधीन चिकित्सीय सहायता, सुरक्षित करने का स्थान, सलाह मष. विरा और विधिक सहायता प्राप्त करना।
उन अधिकारों और राहतों के बारे में जानने में, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता, जो महिला प्राप्त कर सकती है।
महिला के स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ो और दैनिक उपभोग की वस्तुओं और अन्य घरेलू चीजों को वापस कब्जे में लेना।
घरेलू हिंसा से स्वंय और स्वंय के बच्चों के लिए संरक्षण प्राप्त करना।
महिला द्वारा की गई षिकायत, आवेदनों किसी चिकित्सा या अन्य परीक्षण की रिपोर्ट जो महिला या उसके बच्चे करवाते हैं, की प्रतियां प्राप्त करना।
महिला का विषिष्ट खतरों या असुरक्षाओं जिनका महिला या उसके बच्चे सामना कर रहे हैं से सुरक्षा के लिए उपाय और आदेष प्राप्त करने का अधिकार।
घर में जहां महिला घरेलू हिंसा का षिकार हुई है और उसी घर में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के दखल को रोकने और घर व उसमें मौजूद चल, अचल सुविधाओं का षांतिपूर्वक उपभोग करने का महिला को और उसके बच्चों का अधिकार। (धारा 17)
महिला के विरूद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को उससे संपर्क करने, मिलने, टेलीफोन या पत्र–व्यवहार, ईमेल आदि करने से रोकने।
घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी षारीरिक या मानसिक छति या किसी अन्य आर्थिक नुकसान के लिए राहत।
अधिनियम के अधीन षिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही राहत के लिए आवेदन करना।
घरेलू हिंसा के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियां लेना।
किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना।

सुनवाई की तारीख व निपटारा – मजिस्ट्रेट आवेदन प्राप्त की तारीख से सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो तीन दिन से अधिक नहीं होगी, (धारा 12–4) तथा प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा। (धारा 12–5)

सूचना की तामील (धारा 13) – सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जायेगी जो स्वंय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा –
पीड़ित महिला, आरोपी या अन्य सम्बंधित व्यक्ति को अधिकतम् दो दिन के भीतर निवास करने वाले स्थान पर तामील करवाएगा या उस स्थान के इन्चार्ज को दी जायेगी।
यदि सूचना की तामील संभव नहीं हो पाती तो निवास करने वाले परिसर में चिपकाई जायेगी।

शिकायत पर कार्यवाही – प्राप्त षिकायत के बाद संरक्षण अधिकारी पीड़ित महिला के निवास परिसर में निरीक्षण करेगा व रिपोर्ट निर्धारित फार्म में तैयार करेगा तथा उसकी प्रति सम्बंधित थाने के पुलिस अधिकारी व सेवा प्रदाता को भेजेगा। जिसके बाद संरक्षा अधिकारी निर्धारित फार्म को भरकर पूरी स्थिति से मजिस्ट्रेट को अवगत करायेगें।

संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू हिंसा रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट आवेदन का निपटारा करते हुए राहत के निम्न आदेष दे सकेगा –

सुरक्षा का आदेष (धारा 18) –
पीड़ित महिला या बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए,
पीड़ित महिला से व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या टेलीफोन या ईमेल आदि से किसी तरह सम्पर्क न करने के लिए,
महिला के स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों इत्यादि पर कब्जा देने के लिए,
न्यायालय की आज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खातों या लॉकरों का प्रयोग न करने के लिए
ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित महिला की किसी तरह से मदद कर रहा है के साथ हिंसा न करने के लिए,
कोई अन्य आदेष जो मजिस्ट्रेट जरूरी समझे।

निवास का आदेष (धारा 19) –
पीड़ित महिला को घर में षांतिपूर्वक निवास करने तथा आरोपी को बाधा न डालने,
यदि मकान किराये का है तो आरोपी को किराया देने तथा वैसी ही सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए जो पहले के निवास में थी,
जिस सम्पत्ति में पीड़िता रह रही है उसमें किी और को अधिकार नहीं देने के लिए,
पीड़िता के रहने वाले घर में कोई ऋण न लेने या बंधक न रखने के लिए,
घरेलू हिंसा को रोकने के लिए
पीड़ित महिला के निवास या कार्यस्थल से आरोपी को दूर रखने के लिए,
पीड़ित महिला से किसी तरह से मिलने के प्रयास को रोकने के लिए,
आग्नेयस्त्रों या किसी अन्य खतरनाक षस्त्रों के कब्जों के समर्पण के लिए,
पीड़ित महिला की किसी सन्तान की सुरक्षा के लिए।

आर्थिक मुआवजा का आदेष (धारा 20) –
घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति को पीड़ित महिला के आय सृजन की हानि के लिए चिकित्सीय खर्चे,
महिला व बच्चों के भरण–पोषण
किसी सम्पत्ति के हुए नुकसानों की भरपाई आदि के लिए मजिस्ट्रेट आदेष दे सकता है।

अभिरक्षा आदेष (धारा 21) –
पीड़ित महिला के आवेदन पर या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी बच्चे को अस्थायी रूप से अपने पास रखने का आदेष मिल सकता है तथा यदि आरोपी की कोई भेंट सन्तान के हितों के लिए हानिकारक है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को मना कर सकता है।

प्रतिकर या मुआवजे का आदेष (धारा 22) –
आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई घरेलू हिंसा द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक क्षति के लिए या किसी अन्य नुकसान के लिए पीड़ित महिला के आवेदन पर नुकसान की भरपाई का निर्देष मजिस्ट्रेट दे सकता है।

अंतरिम और एकपक्षीय आदेष (धारा 23) –
यदि ऐसा लगता है कि आरोपी व्यक्ति घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या करने की संभावना है तो पीड़ित महिला के षपथ के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 18–22 के अंदर अन्तिम निर्णय आने के पहले अन्तरिम और एकपक्षीय आदेष मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है।

आदेश की प्रतियां प्राप्त करना (धारा 24) – मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेषों की निःषुल्क प्रतियां पीड़ित महिला, आरोपी, स्थानीय थाने के पुलिस अधिकारी व सेवा प्रदाता को दी जायेगी।

अवधि और परिवर्तन (धारा 25) – धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेष तब तक प्रभावी रहेगें जब तक कि पीड़िता आदेष को निरस्त करने के लिए आवेदन नहीं देती।

आरोपी द्वारा संरक्षण आदेष का उलघंन – आरोपी द्वारा संरक्षण आदेष या अन्त. रिम संरक्षण आदेष का उलघंन किया जाना एक संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध होगा **(धारा 32)** और इसके लिए एक वर्ष की अवधि तक के कारावास या बीस हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। **(धारा 31)**

सरकार के कर्तव्य (धारा 11) –
- लोक मीडिया के माध्यम से इस अधिनियम का व्यापक प्रचार करना।
- केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को जानकारी व प्रषिक्षण।

- इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवा देने वाले विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अर्न्तगत न्यायालय स्थापित करना है।

संरक्षण अधिकारी की योग्यताएं और अनुभव –

- सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगें
- सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य
- सामाजिक सेक्टर में काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव
- कम से कम तीन साल का कार्यकाल
- कार्यो के करने के लिए सरकार कार्यालय सहायता उपलब्ध करायेगी

कर्तव्य –

- घरेलू हिंसा रिपोर्ट दर्ज करना
- मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा रिपोर्ट भेजना
- पीड़ित व्यक्ति के षिकायत करने के लिए सहायता देना
- पीड़ित महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना
- धारा 12 या धारा 23 के नियमों के तहत आवेदन करने के लिए सहायता करना
- धारा 12 के अधीन आवेदन पर प्रारूप–5 में सुरक्षा योजना तैयार करना
- कानूनी सहायता उपलब्ध कराना
- चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहायता करना व इसके लिए परिवहन उपलब्ध कराना
- किसी बालक के आश्रय के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना
- सेवा प्रदाता को सूचना देना व आवेदन आमंत्रित करना
- परामर्ष दाताओं के आवेदनो की सूची तैयार करना व मजिस्ट्रेट को भेजना तथा तीन साल में पुनरीक्षित करना
- दस्तावेजों के अभिलेखों या प्रतियां रखना
- पीड़ित महिला या बच्चों का उत्पीड़न न हो इसके लिए सहायता उपलब्ध कराना
- पीड़ित व्यक्ति, सेवा प्रदाता व पुलिस अधिकारी के बीच सम्पर्क रखना
- सेवा प्रदाता, चिकित्सा सुविधा और आश्रयगृहों के अभिलेख रखना
- घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देना
- घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संभव उपाय करना
- आपातकालीन स्थिति में पुलिस की सहायता लेना व तुरन्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- अन्य जो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देष दिये जाये